



Neutral Citation No. - 2026:AHC:14423

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 45252 वर्ष 2025

भावुक नांदल

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक के अधिवक्ता:

पंकज शर्मा, शिव मूर्ति कुशवाहा

विपक्षी के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया। आज दाखिल पूरक शपथ-पत्र को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शिव मूर्ति कुशवाहा एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अभिषेक मिश्रा को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया।
3. आवेदक विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना- खुर्जा नगर, जिला- बुलंदशहर में **मुकदमा अपराध संख्या 344 वर्ष 2025**, अंतर्गत धारा 109, 103(1), 191(2), 191(3) और 190 बी.एन.एस. (BNS) के तहत जमानत की मांग कर रहा है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त, **प्रभात** को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 34221 वर्ष 2025 में पारित आदेश दिनांक 14.10.2025 के माध्यम से पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। चूंकि आवेदक की भूमिका उक्त सह-अभियुक्त के समान है, इसलिए वह भी समानता (parity) के आधार पर जमानत पाने का हकदार है। आवेदक के नाम निर्दिष्ट आपराधिक इतिहास को स्पष्ट कर दिया गया है। वह दिनांक 26.11.2025 से जेल में निरुद्ध है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है। हालांकि, उनके द्वारा सह-अभियुक्त के साथ समानता (parity) के उक्त तथ्यात्मक पहलू का खंडन नहीं किया गया है।
6. उच्चतम न्यायालय ने **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2020) 11 SCC 648** में यह टिप्पणी की है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध कई आपराधिक मामलों का लंबित होना अपने आप में जमानत देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता, यदि अन्यथा उसका जमानत का मामला बनता हो।
7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा इस न्यायालय द्वारा **नन्हा पुत्र नभन खाँ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 Cri.L.J. 938** में पारित निर्णय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा **पारस राम विशनोई बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, MANU/SCOR/22410/2021** और **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, (2022) 10 SCC 51** में पारित निर्णयों के आलोक में, न्यायालय का यह मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए आधार बनाया है। समानता के आधार पर जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
8. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक- **भावुक नांदल** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व प्रतिभूओं का सत्यापन किया जाए।

- (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (iii) आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन के मामले में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(कृष्ण पहल, न्यायमूर्ति)

जनवरी 20, 2026

(रवि कांत)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।